न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, कोर्ट नं०-२,आजमगढ़ ।

सत्र परीक्षण संख्या- 351/ 2021 ई०

स्टेट--------बनाम------- -------------------------- दर्शन लाल

धारा-३०६ भा०दं०सं०

थाना- दीदारगंज ,जनपद-आजमगढ़।

अपराध सं०- ११७/२०२१ ई०

आरोप

मैं खुशतर दानिश ,अपर सत्र न्यायाधीश / एफ०टी०सी०,कोर्ट नं० -२, आजमगढ़ ।

आप- अभियुक्त दर्शन लाल को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

प्रथमतः- यह कि दिनांक २४.०८.२०२१ को समय करीब २१.०० बजे के बहद स्थान पकरौल, थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़ में आप वादिनी मुकदमा प्रमिला की पुत्री आराधना, जिसकी शादी आपके साथ हुई थी, को आप ने एक अन्य लड़की बन्दना पत्नी कमलेश राम से सम्बन्ध बनाकर वादिनी की पुत्री मृतका को दुष्प्रेरित किया, जिससे वह दिनांक उपरोक्त को आत्म हत्या कर ली। एतद्द्वारा आप ने ऐसा कृत्य किया, जो भा०दं० सं० की धारा-३०६ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांकः 10.01.2022

(खुशतर दानिश)

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०

कोर्ट नं०-२,आजमगढ़।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की याचना की ।

दिनांकः 10.01.2022

(खुशतर दानिश)

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०

कोर्ट नं०-२,आजमगढ़।